न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 1/18 दायरा दिनांक 14.06.2018

आर.सी.एम.एस. नम्बर – 2018/00063

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

चन्दमोहन पुत्र द्वारकालाल जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां– **प्रार्थी**

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां
2. मोहनबाई पुत्री अमरलाल जाति बैरवा निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां
3. पार्वतीबाई पुत्री अमरलाल जाति बैरवा निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – **अप्रार्थीगण**

उपस्थित :–

श्री गोविन्द सिंह, ओम भारद्वाज, विजयसिंह व एन.के. नागर अभिभाषक प्रार्थी।

श्री आर.के नागर, अभिभाषक अप्रार्थी।

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार किशनगंज निर्णय दिनांक 07.07.2017 प्रकरण संख्या 3/2017

बउनवान ग्यारसीलाल बनाम चन्द्रमोहन धारा अन्तर्गत 183 (बी)

निर्णय दिनांक 30-7-19

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज का निर्णय दिनांक 07.07.2017 विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वितरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मामले का निस्तारण करते समय विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों का घोर उल्लघंन किया गया है तथा तथ्यों की जांच किये मनमाना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प में एक प्रार्थना पत्र केम्प प्रभारी को दिया जिस पर केम्प प्रभारी द्वारा उक्त प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित कर मामले के निस्तारण के ओदश जारी किये उस पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा 183(बी) आर.टी.एक्ट. के तहत कार्यवाही करते हुये पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित कर दिया उक्त मामले में दिनांक 30.06.2017 नियम की गई दिनांक 30.06.2017 को अपीलान्ट अप्रार्थी न्यायालय में पेश हुआ जिसके बाद दिनांक 07.07.2017 की पेशी दी गई और उसी तारीख पर बिना गवाह सबूत बिना किसी पटवारी रिपोर्ट व अन्य कोई साक्ष्य का अवसर न देते हुये मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध पारित कर दिया जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वर्णित किया है कि राजस्व रिकार्ड की मौका स्थिति की रिपोर्ट हल्का पटवारी मामली से प्राप्त की गई है जो प्राप्त हुई है उक्त रिपोर्ट पैमाईश रिपोर्ट है जो दिनांक 24.05.2017 को सीमाज्ञान करके रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण को दिखाया गया है जिसमें 5 बीघा भूमि पर द्वारकीलाल पुत्र कन्हैयालाल का कब्जा मानते हुये बेदखल करने के आदेश 183(बी) आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों के हित जारी किये गये हैं जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थी द्वारा केम्प पचलावडा में ग्यारसीलाल पुत्र अमरलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिससे अकेला प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ही था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य लोगों को बिना आवेदन के ही प्रार्थी मानकर कार्यवाही प्रारम्भ करदी जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर बेदखली

का आदेश दिया है वह आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व की है जिससे पैमाईश के समय अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है और न ही उक्त पैमाईश अपीलान्ट के सामने की गई है तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई मौका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्यायालय किसी भी न्यायिक कार्यवाही का निस्तारण करते समय सम्यक प्रक्रिया की पालना करेगा और उसके आधार पर न्याय, साम्य, सद्विवेक की अवधारणा को रखते हुये निर्णय पारित करेगा। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और पूर्व धारणा बनाकर एक तरफा कार्यवाही निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर 5 बीघा जमीन पर अतिक्रमी मानकर 10 बीघा जमीन से बेदखल करने के आदेश दिये गये है जो विधि सम्मत नहीं है तथा प्रारम्भिक तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व धारणा बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 07.07.2017 को जो निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य एवं जबाबदेही प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही वास्तविक तथ्यों पर कोई गौर किया गया है। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्वान्तों का हनन हुआ है। अपील उचित न्याय शुल्क पर पेश है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रथम यह कि मियाद के नियमानुसार इनका धारा (5) प्रार्थना पत्र में इन्होंने लिखा है कि अधीनस्थ्य न्यायालय के निर्णय की जानकारी पटवारी द्वारा किये जाने पर हुई मनगढत बेबुनियाद है। इसमें लोयर कोर्ट की पत्रावली लगी हुई है। दिनांक 07.07.2017 की ऑडर्र शीट पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर है, अर्थात् अपीलान्ट को दिनांक 07.07.2017 को यह जानकारी थी कि उसके विरूद्ध निर्णय हुआ है, ऑडर्र शीट के अलावा जो 183(बी) का निर्णय है उसके पेज नम्बर 2 की प्रथम व द्वितीय लाईन में अपीलान्ट की उपस्थिति का उल्लेख है। अपील मैमो की मद नं. 3 की 7 वी 8 वी लाईन में उन्होनें स्वयं स्वीकार किया है कि अपीलान्ट 30.06.2017 व 07.07.2017 को खुद पेश हुआ था, इस प्रकार अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 07.07.2017 की जानकारी थी। इसके बाबजूद अपीलान्ट ने मात्र रेस्पोडेण्ट को परेशान करने की गरज से 11 माह की बिलम्ब से अपील पेश कि है। 11 माह की देरी का स्पष्ट कारण नहीं बताया है। जबकि अपील का समय 1 माह है अपीलान्ट का यह कहना कि पटवारी से जानकारी हुई है गलत है, 183 (बी) की पालना रिपोर्ट दिनांक 12.08.2017 में लिखा है कि चन्द्रमोहन उपस्थित, लेकिन हस्ताक्षर करने इन्कार करना अंकित है। इस प्रकार अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी थी 12.08.2017 के एक माह के अन्दर अपील नहीं की इस प्रकार अपील मियाद बाहर है। कोई कारण नहीं दिया है। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 46/3 रकबा 10 बीघा जिसके रेस्पोडेण्टगण खातेदार हैं। जिस पर अप्रार्थी ने अपनी दबंगता कर फायदा उठाकर कब्जा कर लिया। जिस पर मैंने बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार ने 24.05.2017 को पटवारी से रिपोर्ट ली। जिस पर पटवारी ने लिखा की अपीलान्ट द्वारकीलाल का 5 बीघा भूमि पर कब्जा है। अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया। विधिवत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसकी पालना में दिनांक 12.08.2017 को कब्जा सम्भलाया, इस प्रकार 12.08.2017 का दखल दे दिया था, तो इनके द्वारा 11.06.2018 को अपील विलम्ब से पेश की है। अतः अपील खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट ने कहा कि इन्होने जो तथ्य पेश किये इस सम्बन्ध में निवेदन है कि रूटीन में हस्ताक्षर कराते है निर्णय बाद में होता है। अपीलान्ट अनपढ़ व्यक्ति है मुझे जानकारी नहीं थी पटवारी से ही जानकारी हुई तभी नकल लेकर अपील पेश की है। अपील स्वीकार फरमावें।

उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183(बी) की कार्यवाही के दौहरान अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील बिलम्व से प्रस्तुत होना पाया जाता है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो सके की अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटि की हो। रेस्पोडेण्ट खातेदार हैं तथा तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की आराजी पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 183(बी) के अर्न्तगत जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 14:30:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: